

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर देसूरी
न्याय आपके द्वार अभियान वर्ष 2016
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी
उनवान

मांगीलाल पुत्र चन्दाराम कौम सीरवी

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र चन्दाराम कौम सीरवी

दावा बाबत - बंटवारा राज0काश्त0 अधि0 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :- 85 / 16

निर्णय

दिनांक :- 27 / 06 / 2016

वादी मांगीलाल पुत्र चन्दाराम कौम सीरवी व प्रतिवादी ओमप्रकाश पुत्र चन्दाराम कौम सीरवी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27 / 06 / 16 को पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

मांगीलाल पुत्र चन्दाराम कौम सीरवी सा.देह खातेदार के नाम ग्राम नाडोल 2 पटवार वृत्त नाडोल 2 देसूरी तहसील देसूरी के ख.न 2891 / 1 रकबा 1.33 है. किस्म चा.सो. 0.45, जा.सो. 0.88 लगान 9.00, 6.16 व ख.न 2900 / 1 रकबा 0.70 है. किस्म चा.सो. 0.02, जा.सो. 0.68 लगान 0.40, 4.76 कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.03 कुल किस्म चा.सो. 0.47, जा.सो. 1.56 कुल लगान 20.32 एवं ओमप्रकाश पुत्र चन्दाराम कौम सीरवी सा.देह खातेदार के नाम ग्राम नाडोल 2 पटवार वृत्त नाडोल 2 देसूरी तहसील देसूरी के ख.न 2899 रकबा 0.04 है. किस्म गे.मु. व ख.न. 2900 रकबा 0.66 है. किस्म चा.सो. 0.02, जा.सो. 0.64 लगान 0.40, 4.48 व ख.न 2891 रकबा 1.33 है. किस्म चा.सो. 0.45, जा.सो. 0.88 लगान 9.00, 6.16 कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.03 कुल किस्म गे.मु. 0.04, चा.सो. 0.47, जा.सो. 1.52 कुल लगान 20.04 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 27 / 06 / 2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।



क्रमांक / शिविर / 2016 /
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि पारित डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

दिनांक - 27 / 06 / 2016

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
प्रभारी अधिकारी न्याय आपके द्वार अभियान 2016
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड सहायक कलेक्टर देसूरी
केम्प

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
न्याय आषके द्वारा अधिवान वर्ष 2016

अदालत
जलास

:- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- देसूरी

:- श्री पर्वतसिंह चुण्डावत , आर0ए0एस0

उनवान

मांगीलाल पुत्र चन्दाराम कौम सीरवी

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र चन्दाराम कौम सीरवी

राजस्व वाद बाबत घोषणा,

मु0न0 :रा0वा0 स0: 85/16

दावा बाबत -बंटवारा राज0काश्त0 अधि0 1955 धारा 53

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू-..... व हाजरी
वादीगण मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेष होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि मांगीलाल पुत्र चन्दाराम कौम सीरवी सा.देह खातेदार के नाम ग्राम नाडोल 2 पटवार वृत्त नाडोल 2 देसूरी तहसील देसूरी के ख.न 2891/1 रकबा 1.33 है. किस्म चा.सो. 0.45,जा.सो. 0.88 लगान 9.00,6.16 व ख.न 2900/1 रकबा 0.70 है. किस्म चा.सो. 0.02,जा.सो. 0.68 लगान 0.40,4.76 कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.03 कुल किस्म चा.सो. 0.47,जा.सो. 1.56 कुल लगान 20.32 एवं ओमप्रकाश पुत्र चन्दाराम कौम सीरवी सा.देह खातेदार के नाम ग्राम नाडोल 2 पटवार वृत्त नाडोल 2 देसूरी तहसील देसूरी के ख.न 2899 रकबा 0.04 है. किस्म गे.मु. व ख.न. 2900 रकबा 0.66 है. किस्म चा.सो. 0.02,जा.सो. 0.64 लगान 0.40,4.48 व ख.न 2891 रकबा 1.33 है. किस्म चा.सो. 0.45,जा.सो. 0.88 लगान 9.00,6.16 कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.03 कुल किस्म गे.मु. 0.04,चा.सो. 0.47,जा.सो. 1.52 कुल लगान 20.04 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, देसूरी को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व षहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर नाडोल के आज तारीख 27/06/2016 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह
रूपये	पैसे		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील
महनताना वकील			खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान			फीस कमीष्जर
फीस कमीष्जर			बाबत ईजराय हुक्मनामा
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
(जिला-पाली)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)